



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो.०आ००-माजरा, देहरादून
फोन-०१३५-२६४१११५ फैक्स-२६४१३१४, Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रारूप, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना और सम्बन्धित मामलों से सम्बद्ध) विनियम, 2018, [Draft UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2018] पर जन-सुनवाई।

- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 व धारा 50 सपष्टित धारा 43, धारा 45, धारा 46, धारा 47 व धारा 57 तथा विद्युत (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2005 में प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग द्वारा 'प्रारूप उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना और सम्बन्धित मामलों से सम्बद्ध) विनियम, 2018'', [Draft UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2018] जारी किया गया है। उक्त 'प्रारूप विनियम' आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in में अपलोड किया गया है।
- इस सम्बन्ध में, आयोग द्वारा दिनांक 27.11.2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोग कार्यालय में जन-सुनवाई आहूत की गई है। यदि कोई भी व्यक्ति, इस सम्बन्ध में, अपने मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है तो वे उक्त निर्धारित जन-सुनवाई में उपस्थित होकर अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
- उक्त जन सुनवाई की तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।